

2-मैल द्वारा प्राप्त
14-2-19

महत्वपूर्ण
संख्या-240(1)/पॉच-1-2019

प्रेषक,
वी० हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2019

विषय:-चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये जनपदीय नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-240/पॉच-1-2019, दिनांक 07.02.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये कृपया अपने-अपने जनपद से ए०सी०एम०ओ० रैंक के चिकित्साधिकारी को जनपदीय नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनका नाम/मोबाइल नम्बर व अपने जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कार्यरत् सरकारी एवं गैर सरकारी फ़ैसिलिटीज की सुविधाओं की संख्या भी 03 दिन के अन्दर शासन/महानिदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक नोडल अधिकारी अपने जनपदों के जैव चिकित्सा अपशिष्ट की अद्यतन सूचना एम०आई०एस० पर अपडेट करते हुये उक्त सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी० हेकाली झिमोमी)
सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, यू०पी० टेक्निकल सपोर्ट, यूनिट, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. अपर परियोजना निदेशक, यू०पी०एच०एस०पी, इन्दिरा नगर लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण के लिये आपके द्वारा एम०आई०एस० विकसित किया गया है। कृपया जैव चिकित्सा अपशिष्ट एम०आई०एस० की अद्यतन स्थिति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

To All CMOS / Anshaprd 06 99ma 11am
for compliance with time

14/2/19
निदेशक (चिकित्सा उपचार)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरनाम)

उप सचिव।